न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 258/2016 दायरा दिनांक : 14.07.2016

उनवान

1— नन्दकिशोर पुत्र श्री दीवान सिंह, जाति गुर्जर, आयु 52 साल, निवासी अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

2— रामनारायण पुत्र श्री दीवान सिंह, जाति गुर्जर, आयु 49 साल, निवासी अल्लापुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सा. छबडा

2— वन विभाग राजस्थान द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री नन्द किशोर गूर्जर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री डी सी कुशवाह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.10.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 114/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 42 बीघा 4 बिस्वा स्थित है । जिसमें से 20 बीघा आराजी पर वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादी व उनके पिता देवया गूर्जर का 50 साल से निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त में आराजी चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी पैत्रृक है । रेवेन्यु रेकार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम दर्ज है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 42 बीघा 4 बिस्वा में से 20 बीघा आराजी वर्तमान में रेवेन्यु रेकार्ड जमाबंदी में वन विभाग के नाम दर्ज कर दी जो गलत है क्योंकि वादग्रस्त आराजी कभी भी वन विभाग के अधीन नहीं रही है । रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा सहवन से वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया जो दुरूस्त होने योग्य है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता देवया गूर्जर (दीवान सिंह गूर्जर) के नाम 20 बीघा भूमि ट्रेसपासर चली आ रही है । वादी व उसके पिता लगभग 50–60 साल से अधिक बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त में चली आ रही है जो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आती है इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 42 बीघा 4 बिस्वा स्थित है । जिसमें से 20 बीघा आराजी पर वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादी व उनके पिता देवया गूर्जर का 50 साल से निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त में आराजी चली आ रही है । वादग्रस्त आराजी पैत्रृक है । रेवेन्यु रेकार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम दर्ज है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 42 बीघा 4 बिस्वा में से 20 बीघा आराजी वर्तमान में रेवेन्यु रेकार्ड जमाबंदी में

वन विभाग के नाम दर्ज कर दी जो गलत है क्योंकि वादग्रस्त आराजी कभी भी वन विभाग के अधीन नहीं रही है । रेवेन्यु अधिकारियों द्वारा सहवन से वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया जो दुरूस्त होने योग्य है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता देवया गूर्जर (दीवान सिंह गूर्जर) के नाम 20 बीघा भूमि ट्रेसपासर चली आ रही है । वादी व उसके पिता लगभग 50–60 साल से अधिक बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त में चली आ रही है जो प्रतिकूल कब्जे की श्रेणी में आती है इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में अपना नाम की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व उनके पिता देवया गूर्जर का वादग्रस्त आराजी में लगभग 50 साल से निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त में चली आ रही है । लम्बे समय से कब्जे के आधार पर अपीलांट को खातेदारी प्रदान की जाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वन विभाग की है जिस पर अपीलांट को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित आराजी ग्राम अल्लापुरा, तहसील छबडा जिला बारां की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 42 बीघा 4 बिस्वा मुताबिक नकल जमाबंदी खाता संख्या 56 सम्वत 2069–72 के अनुसार तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह आराजी वन विभाग (जगंलात) के खाते दर्ज है, इस प्रकरण वादी अपीलांट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलांट का वादग्रस्त आराजी रकबा 20 बीघा पर कब्जा काश्त हो और वादग्रस्त आराजी पर कब्जे के आधार पर अपीलांट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । यहां रेवेन्यु बोर्ड के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा निर्णय दिनांक 30.08.2018 का उल्लेख करना उचित होगा कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । उपरोक्त के अति. वन विभाग की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है । अतः अपीलांट किसी भी प्रकार से उपरोक्त विवादित भूमि पर खातेदारी घोषणा के अधिकारी नहीं है । इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा